आदेश की क्र0सं0 और तारिख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गयी कार्रवाई बारे में टिप्पणी, ता0 सहित 3
12.10.2017	**उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।** **Rev. Misc. Revision Case No 12 of 2014-15** मो0 आलम एवं अन्य बनाम अयुब मियाँ एवं अन्य **आदेश** प्रस्तुत वाद मो0 आलम, पिता–जलील मियॉ एवं अन्य दो सभी ग्राम–शहरपुर, सर्किल–दक्षिणबहाल, थाना–नारायणपुर, अनुमण्डल एवं जिला–जामताड़ा के द्वारा अयुब मियॉ, पिता–स्व0 अताउल मियॉ, ग्राम –शहरपुर, सर्किल–दक्षिणबहाल, थाना–नारायणपुर, अनुमण्डल एवं जिला –जामताड़ा के विरूद्ध अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के वाद Rev. Misc. Case No. 61/2013-14 में दिनांक 23.05.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। मो0 आलम के आवेदन पत्र से स्पष्ट है कि मौजा–शहरपुर दाग संख्या 597 पर दोनो पक्षों के बीच जमीन की मापी को लेकर विवाद है। मो0 आलम के आवेदन से स्पष्ट है कि यह भूमि विगत सर्वे खतियान में झांटी जंगल के नाम से दर्ज है तथा इस भूमि की बंदोबस्ती किसी को नहीं दी जा सकती है। पुनः मो0 आलम के द्वारा इस रिवीजन वाद को वापस लिये जाने का आवेदन दिया गया है। अतः मो0 आलम द्वारा रिवीजन वाद को वापस लिये जाने की स्वीकृति दी जाती है। चुंकि भूमि झांटी जंगल है तथा इसकी बंदोबस्ती किसी को नहीं दी जा सकती है, अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र हैं। 29/12/17 उपायुक्त, जामताड़ा।	Seen 2/1/2018 DB 97